



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-228991
CG-DL-E-14082021-228991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3045]
No. 3045]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3285(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ५४५, तारीख ०४ फरवरी २०२१ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63 से कि.मी.100.2 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), कन्नोद, जिला-देवास) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०४ अप्रैल २०२१" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63 से कि.मी.100.2 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), कन्नोद, जिला-देवास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: देवास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नोद				
	गांव का नाम: ननासा				
1	728/1/1	निजी	सिंचित	0.05	कमला देवी पति जेठमल (७२८/१/१)
2	728/2/2/1	निजी	सिंचित	0.12	केदार नारायण पिता हजारीलाल ममता पति मनोहर, रमेशचंद्र पिता हरकिशन, मनोरमा बाई पति मोहनलाल (७२८/२/२/१)
3	728/3/1	निजी	सिंचित	0.1	केदार नारायण पिता हजारीलाल, ममता पति मनोहर, रमेशचन्द्र पिता हरकिशन, मनोरमाबाई पति मोहनलाल (७२८/३/१)
4	761	निजी	सिंचित	0.01	सोदराबाई पति भादो जाति बलाई (७६१)
5	762/4	सरकारी(चारागाह)	असिंचित	0.02	शासकीय (चारागाह) (७६२/)
	गांव का नाम: सिरसोदिया				
6	199/2	निजी	सिंचित	0.01	भवर सिंह पिता मोहन लाल जाति गुर्जर (१९९/२)
7	200	निजी	सिंचित	0.07	रुकमणि बाई पति मोहन लाल जाति गुर्जर (२००)
8	202	निजी	सिंचित	0.13	नसीम बानो पति शेख कल्लू (२०२)

9	203	निजी	सिंचित	0.02	मोहम्मद इसरार, मो. अनवर, मो. इकबाल, रेहान परवीन, रूकसाना, यास्मीन पिता सफी उलहक (२०३)
10	206	निजी	सिंचित	0.11	कमल किशोर पिता बालकृष्ण (२०६)
			कुल	0.64	

[फा. सं. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3285(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 545, Dated 04 February 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km 63 to Km 100.2 (Sub Divisional Officer (R), Kannod, District-Dewas) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 04 April 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch of land from Km. 63 to Km. 100.2, NH59A (Sub Divisional Officer (R), Kannod, District-Dewas) in the district of DEWAS in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kannod					
Village: Nanasa					
1	728/1/1	Private	Irrigated	0.05	Kamla Devi W/o Jethmal 728/1/1
2	728/2/2/1	Private	Irrigated	0.12	Kedar Narayan S/o Hajarilal, mamta w/o manohar, rameshchandra S/o Harkishan, Manorambai W/o Mohanlal 728/2/2/1

3	728/3/1	Private	Irrigated	0.1	Kedar Narayan S/o Hajarilal, mamta w/o manohar, rameshchandra S/o Harkishan, Manorambai W/o Mohanlal 728/3/1
4	761	Private	irrigated	0.01	Sodarabai W/o Bhado Caste Balai 761
5	762/4	Government(Charagah)	Unirrigated	0.02	Govt. (Charagah) 762/4
Village: Sirsodiya					
6	199/2	Private	Irrigated	0.01	Bhawar Singh S/o Mohanlal Caste Gurjar 199/2
7	200	Private	Irrigated	0.07	Rukmani Bai W/o Mohanlal Caste Gurjar 200
8	202	Private	Irrigated	0.13	Naseem Bano W/o Shekh Kallu 202
9	203	Private	Irrigated	0.02	Mohammad Israr, Mo. Anwar, Mo. Iqbal, Rehan Parveen, Ruksana, Yasmeen S/o Safi Ulhaq 203
10	206	Private	Irrigated	0.11	Kamal Kishor S/o Balkrishna 206
			TOTAL	0.64	

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]
RAJESH GUPTA, Director